प्रेस विज्ञप्ति

24.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 22.07.2024 को क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर लक्ष्य विज को धन-शोधन जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। उन्हें 23.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने ईडी को 05 दिनों के लिए हिरासत प्रदान की है।

ईडी ने एक अमेरिकी नागरिक को धोखा देने के आरोप में कई आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार ,आरोपियों ने एक महिला [अमेरिकी नागरिक] से संपर्क किया और उसे बैंक में रखे गए निवेश को क्रिप्टो करेंसी खाते में अंतरित करने के लिए यह दावा करते हुए राजी किया कि मौजूदा खाता सुरक्षित नहीं है। कॉल करने वाले ने उसके कंप्यूटर तक अनधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त की और उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके पीड़िता के नाम पर एक क्रिप्टो करेंसी खाता बनाया। उसे उक्त क्रिप्टोकरेंसी खाते में 400,000 अमेरिकी डॉलर अंतरित करने की सलाह दी गई। बाद में ,जब पीड़िता ने अपने खाते में लॉग इन किया तो उसने पाया कि उसके खाते में कोई भी राशि शेष नहीं है। पीड़िता द्वारा एक शिकायत की गई और भारतीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके आधार पर सीबीआई ने कुछ आरोपियों के नाम पर एक एफआईआर दर्ज की।

ईडी की जांच से पता चला है कि धोखाधड़ी के बाद 400,000 अमेरिकी डॉलर की राशि को पीड़िता के बैंक खाते से क्रिप्टो खाते में अंतरित करने के बाद बिटकॉइन को कई वॉलेट्स में परिचालित किया गया और कई परतों के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को अंतरित किया गया ताकि धनराशि के ट्रेल का पता न लगाया जा सके। क्रिप्टो वॉलेट्स में कई बार अंतरण के बाद, धनराशि को क्रिप्टो करेंसी खाते से डमी संस्थाओं के बैंक खातों में अंतरित कर दिया गया और उसके बाद, भुगतान एग्रीगेटर्स के माध्यम से सैकड़ों व्यक्तियों/संस्थाओं को भारतीय मुद्रा में अंतरित कर दिया गया।

ईडी ने इस मामले में 06.06.2024 को तलाशी अभियान चलाया था और कई डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए थे। कई ऐसे लोगों के बयान भी दर्ज किए गए जिनके वॉलेट का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी/बिटकॉइन के हस्तांतरण में किया गया था , जिन्हें पीएमएलए की धारा 17 और 50 के तहत दर्ज किया गया था। ईडी की जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों से पता चला कि लक्ष्य ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की थी। लक्ष्य विज ही वह व्यक्ति था जो विभिन्न व्यक्तियों को बिटकॉइन ट्रांसफर करने के निर्देश जारी करता था। निर्देश मुख्य रूप से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जारी किए गए थे ,जिनकी प्रतियां ईडी द्वारा बरामद की गई थीं। लक्ष्य विज को धन-शोधन का दोषी पाया गया और तदनुसार 22.07.2024 को नई दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया।

आगे की जांच जारी है।